FORM NO -III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत कलक्टर, **मुकाम** नागौर

प्रार्थी		**अप्रार्थी**
रूपाराम पुत्र जसाराम जाति जाट निवासी ग्राम सुराणा तहसील व जिला नागौर	**बनाम**	तहसीलदार नागौर

किस्म मुकदमा राजस्व स्थगन प्रार्थना पत्र **संख्या** ....04.... **सन्** 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
06.01.2020	वकील प्रार्थी ने धारा 75 राजस्थान भु–राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय तहसीलदार, नागौर (ग्रामीण) ~~मूण्डवा~~ द्वारा मुकदमा संख्या **137/2019 सरकार बनाम रूपाराम,** अन्तर्गत धारा 91 आरएलआर एक्ट प्रकरण में पारित निर्णय **दिनांक 20.12.2019** के विरूद्ध यह स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। वकील प्रार्थी की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकतरफा बहस सुनी गई। रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.12.2019 में पारित आदेश में प्रार्थी/अपीलान्ट को सुनाये गये 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा के आदेश की कियान्विति आगामी पेशी दिनांक 27.01.2020 तक स्थगित की जाती है। अप्रार्थी जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 27.01.2020 को पेश हो। **जिला कलेक्टर,नागौर**	
27/1/20	वकील प्रार्थी उप०। अप्रार्थी का नोटिस बाद तामील लौटकर प्राप्त हुआ है, जो शा० मि० हो। अप्रार्थी की ओर से राजपेशकार श्री कुन्दनसिंह आचीणां उप०। पत्रावली मूल अपील के साथ दिनांक 10/02/2020 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
10-2-2020	वकुलाय उप०। ~~पत्रा~~ पत्रावली मूल अपील के साथ दिनांक 17/2/20 को पेश हो। कलक्टर, नागौर	
17-2-20	वकुलाय उपस्थित। हस्तगत स्थगन प्रार्थना पत्र से संबंधित मूल अपील फैसल हो जाने से अब इस स्थगन प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रहने के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (दिनेश कुमार यादव) कलक्टर, नागौर	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Yadav
Date: 2020.03.17 13:58:34 IST
Reason: SelfAttested